विनोददेवी बनाम राकेश आदि 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08/10/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो परिवार का कर्ता होने के कारण उनके नाम दर्ज हुई थी। सुरजाराम दिनांक 22.07.2024 को फौत हो चुका है। सुरजाराम की कृषि भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा है। लेकिन अप्रार्थीगण ने सुरजाराम जो कि एक 95 वर्षीय वृद्ध व अन्धा व्यक्ति था, को धोखा में रखकर उक्त भूमि कुटरचित दानपत्रों के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली। इसलिये वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को सरक्षिंत रखने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि वाद भूमि सुरजाराम को आवंटन शुदा भूमि है। उक्त कृषि भूमि के सुरजाराम अकेला मालिक थे। प्रार्थीया ने दादालाई भूमि को आधार मानकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन वाद भूमि सुरजाराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसमें प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है तथा मृतक सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि अपनी ईच्छा से व बिना किसी के दबाब में दान की थी। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि मृतक सुरजाराम की स्वअर्जित सम्पति थी जिसका सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थीगण में दान कर दिया था। अब वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनको अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंह	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 12:00:42 IST
Reason: SelfAttested